

(Cor : Fireirs) Phone: 01902-222747 Www.elskulla.org



Date: 10/10/2022

Rof. No. OLS/PPL/2022-2023/0561A

The Government Notification No. EDN-C-F(10)-8/09 dated 05.03.2011 as required under article 348(3) of the Constitution of India). Government of Himachal Pradesh Department of Elementary Education

Notification No. EDN-C-F(10)-8/09 Dated Shimla-2 the 5th March, 2011

In exercise of the powers conferred under section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, (35 of 2009) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to carry out the provisions of the Act ibid, namely:-

1. Short title: These rules shall be called the Right of Children to Free and CompulsoryEducation, Himachal Pradesh Rules, 2011.

PART I - PRELIMINARY

- 2. Definitions:
- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009):
- (b) "Anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India:
- (c) "Chapter", "Section" and Schedule" means respectively Chapter, Section of, and Schedule to, the Act:
- (d) "Child" means any child of the age of 6 to 14 years;
- (e) "Child belonging to disadvantaged group" means the child belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes, who belongs to a family that isbelow the poverty line or is a disabled child as per the provisions contained in Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation)
- (f) "Child belonging to weaker section" means the child belonging to such guardian orparent who belongs to Below Poverty Line family;
- (g) "Form" means a form appended to these rules;
- (h) 'Neighbourhood' for the purposes of these rules means a minimum contiguous population of 500 or more in one or more than one village; and Municipal area;
- (i) "Primary school" means a school imparting education to students for the classes 1 to5 and
- (j) "Pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;

maky

Our Lady Of The -

OUR LADY OF THE SNOWS SCHOOL

Dhalpur, Kullu



ICSE: HP003 one: 01902-222747 ww.olskullu.org



(k) "School mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distance;

(I) The "State Government" means, the Government of Himachal Pradesh;

(m) the term "SMC" wherever used in these rules shall be construed to mean 'School Management Committee:

(n) Upper primary school, means a school imparting education to the students for the classes6th

to 8th; are

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II - RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

(3) Special Training for the purposes of first proviso to section 4 (Non-residential / Residential bridge course):

(1) The School Management Committee/ local authority/ teachers, shall identify children requiring special training and organize such training in the following manner, namely:

(a) it shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority constituted under section 29(1);

(b) it may be provided in classes held in the premises of the school, or through classes organised in safe residential facilities;

(c) it may be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for

(d) the duration of training shall be for a minimum period of three months which maybe extended, based on periodical assessment of learning progress of the child, for a maximum

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training under sub-rule (1), continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the children in the class, academically and emotionally.

PART III - DUTIES OF STATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

(4) Areas or limits of Neighbourhood Schools : (1) Neighbourhood school means and include-(i)

a primary school which is located within a walking distance of 1.5 kms (one and half a kilometres) of a neighbourhood and has a minimum of 25 children in the age group of 6to

11 years available and willing for enrolment in that school; and

an upper-primary school which is located within a walking distance of 3kms(three (ii) kilometres) from a neighbourhood and which has not less than 25 children in class 5thof the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrolment in that





OUR LADY OF THE SNOWS SCHOOL

Dhalpur, Kullu

ICSE : HP003 Phone: 01902-222747 www.olskullu.org



(2) In areas with difficult terrain, having risk of landslides, floods, lack of roads and in general danger for young children in the approach from their homes to the school, the State Government or local authority may locate the school in the manner so as to avoid such dangers, by reduct the limits specified under sub-rule (1)

(3) For children from small villages, as identified by the State Government or local authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub-rule (1) the State Government or local authority may consider making provision of free bus passes or payment of distance allowance at such rates as it may fix from time to time.

(4) In areas with dispersed population, the State Government, instead of opening a School, may establish a hostel in some suitable school where, students of such areas may be admitted

- (5) In areas with high population density, the State Government or local authority may conside establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of childrenin the age group of 6-14 years in such areas.
- (6) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school, the State Government or local authority shall endeavour to make arrangements to provide them the distance or transportation allowance at such rates as may be fixed by the State Government from time to time, for enabling them to attend the school and complete elementary education.
- (7) The State Government or local authority shall ensure that access of children to the schoolis not hindered on account of social and cultural factors.
- (8) The State Government may from time to time rationalize the existing primary and upper primary schools and may take appropriate decisions including those relating to their merger or closure as may emerge from the rationalization exercise.

Our Lady of the Snows School, Kullu has been catering to the educational needs of the Valley since 1975, and many students have been graduated through this noble Institution. Many deserving candidates were given full or partial conessions from its inception. The school is ready and willing to educate the deserving underprivileged students in accordance with the directives given by the honourable Courts and the Governments. The school has been admitting and educating the deserving candidates who apply for admission and concession fulfilling all the formalities and requirements. Therefore, the deserving and aspiring candidates are encouraged and recommended to apply for admission and concession in our Lady of the Snows School, Kullu, Himachal Pradesh, India.

Fr. Antony Solomon, Principal

Principal
Our Lady Of The Snows School
Kullu, (H.P.) 175101





Ref. No. OLS/PPL/2022-2023/0561A

Date: 10/10/2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के तहत आवश्यक सरकारी अधिसूचना संख्या ईडीएन-सी-एफ(10 8/09 दिनांक 03.05.2011)। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना संख्या ईडीएन-सी-एफ(10)-8/09 दिनांक शिमला-2 दिनांक 5 मार्च, 2011

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात्:-

 संक्षिप्त शीर्षक: इन नियमों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 कहा जाएगा।

भाग। - प्रारंभिक

- 2. परिभाषाएँ: (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (a) "अधिनियम" का अर्थ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) का अधिकार है;
- (b) "आंगनवाड़ी" का अर्थ है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनवाडी केंद्र;
- (c) "अध्याय", "धारा" और अनुसूची" का अर्थ अधिनियम के क्रमशः अध्याय, धारा और अनुसूची से है; (d) "बच्चे" का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा;
- (e) "वंचित समूह से संबंधित बच्चा" का अर्थ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बच्चा है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित है या विकलांग व्यक्ति (समान अवसर) में निहित प्रावधानों के अनुसार विकलांग बच्चा है , अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995;
- (f) "कमज़ोर वर्ग से संबंधित बच्चे" का अर्थ ऐसे अभिभावक या माता-पिता से संबंधित बच्चा है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से है;
- (g) "फॉर्म" का मतलब इन नियमों से जुड़ा एक फॉर्म है;
- (h) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए 'पड़ोस' का अर्थ है एक या एक से अधिक गाँवों में 500 या उससे अधिक की न्यूनतम सन्निहित जनसंख्या; और नगरपालिका क्षेत्र;
- (i) "प्राथमिक विद्यालय" का अर्थ कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय है और इसमें
- (i) "छात्र संचयी रिकॉर्ड" का अर्थ व्यापक और निरंतर मूल्यांकन के आधार पर बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड है; (k) "स्कूल मैपिंग" का अर्थ सामाजिक बाधाओं और भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए स्कूल स्थान की योजना





(1) "राज्य सरकार" का अर्थ है, हिमाचल प्रदेश सरकार;

- (m) इन नियमों में जहां भी शब्द "एसएमसी" का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ 'स्कूल प्रबंधन समिति' माना जाएगा:
- (n) उच्च प्राथमिक विद्यालय, का अर्थ कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय है; हैं
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में सौंपा गया है।

भाग ॥ - मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार

- (3). धारा 4 (गैर-आवासीय/आवासीय ब्रिज कोर्स) के पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण:
- (1) स्कूल प्रबंधन समिति/स्थानीय प्राधिकारी/शिक्षक, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे और निम्नलिखित तरीके से इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे, अर्थात् :

(a) यह धारा 29(1) के तहत गठित शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से डिजाइन की गई, आयु

उपयुक्त शिक्षण सामग्री पर आधारित होगी;

- (b) यह स्कूल के परिसर में आयोजित कक्षाओं में, या सुरिक्षत आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है: (c) यह स्कूल में काम कर रहे शिक्षकों, या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा
- सकता है: और (d) प्रशिक्षण की अविध तीन महीने की न्यूनतम अविध के लिए होगी जिसे बच्चे की सीखने की प्रगति के आविधक
- मुल्यांकन के आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (2) बच्चे को उप-नियम (1) के तहत विशेष प्रशिक्षण के बाद आयु उपयुक्त कक्षा में शामिल होने पर, शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा ताकि वह शेष बच्चों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत हो सके। कक्षा, अकादिमक और भावनात्मक रूप से।

भाग ॥। - राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य

नेबरहुड स्कूल के क्षेत्र या सीमाएं: (1) नेबरहुड स्कूल का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-

- एक प्राथमिक विद्यालय जो पड़ोस के 1.5 किलोमीटर (डेढ़ किलोमीटर) की पैदल दूरी के भीतर स्थित है (i) और जिसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 25 बच्चे उपलब्ध हैं और उस स्कूल में नामांकन के इच्छुक हैं; और
- (ii) एक उच्च-प्राथमिक विद्यालय जो पड़ोस से 3kms (तीन किलोमीटर) की पैदल दूरी के भीतर स्थित है और जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 5 में 25 से कम बच्चे नहीं हैं, एक साथ लिया गया, उपलब्ध है और उस विद्यालय में नामांकन के लिए तैयार है।



OUR LADY OF THE SNOWS SCHOOL Dhalpur, Kullu



- (2) दुर्गम भू-भाग वाले क्षेत्रों में, जहां भूस्खलन, बाढ़, सड़कों की कमी का खतरा हो और आम तौर पर छोटे बच्चों के लिए उनके घरों से स्कूल तक पहुंचने का खतरा हो, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी स्कूल को इस तरीके से ढूंढ सकते हैं ताकि उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचें।
- (3) छोटे गांवों के बच्चों के लिए, जैसा कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया गया है, जहां उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर कोई स्कूल नहीं है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण मुफ्त बस पास का प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं। या समय-समय पर तय की जाने वाली दरों पर दूरी भत्ते का भुगतान।

(4) छितरी हुई आबादी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार विद्यालय खोलने के स्थान पर किसी उपयुक्त विद्यालय में छात्रावास स्थापित कर सकती है जहाँ ऐसे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सके।

- (5) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक पड़ोस के स्कूल की स्थापना पर विचार कर सकते हैं।
- (6) विकलांग बच्चों के संबंध में जो उन्हें स्कूल तक पहुँचने से रोकते हैं, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें ऐसी दरों पर दूरी या परिवहन भत्ता प्रदान करने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती हैं। उन्हें स्कूल जाने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना।

(7) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण बच्चों की स्कूल तक पहुंच बाधित न हो।

(8) राज्य सरकार समय-समय पर मौजूदा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को युक्तिसंगत बना सकती है और उनके विलय या बंद करने से संबंधित सहित उचित निर्णय ले सकती है, जैसा कि युक्तिकरण अभ्यास से उभर सकता है।

OUR LADY OF THE SNOWS SCHOOL, KULLU, H.P., INDIA, 1975 से घाटी की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, और कई छात्रों को इस महान संस्थान के माध्यम से स्नातक किया गया है। कई योग्य उम्मीदवारों को इसकी स्थापना से पूर्ण या आंशिक रियायतें दी गईं। स्कूल माननीय न्यायालयों और सरकारों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग्य वंचित छात्रों को शिक्षित करने के लिए तैयार और इच्छुक है। स्कूल सभी औपचारिकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रवेश और रियायत के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश और शिक्षित कर रहा है। इसलिए, योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जाता है और OUR LADY OF THE SNOWS SCHOOL, KULLU, H.P., INDIA, में प्रवेश और रियायत के लिए आवेदन करने की सिफारिश की जाती है।

फादर एंटनी सोलोमन, प्रधान अध्यापक

Principal Our Lady Of The Snows School Kullu, (H.E.) 175101